

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी:-

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं- 73/2023

जीसीएमएस नम्बर :- 2023/211

1. ईश्वर पुत्र गणेशाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज)
2. चन्द्रमुखी पत्नि नानडराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज)
3. महेन्द्र पुत्र नानडराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज)
4. रामचन्द्र पुत्र गणेशाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज)
5. सुनिल कुमार दत्तक पुत्र प्रभुराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज)
6. सुभाष पुत्र नानडराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज)
गणेशाराम
7. सुरेश पुत्र गणेशाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज) मो.
9784967107

.....आवेदकगण

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री बलवीर जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
2. प्रवन् कुमार पुत्र श्री बलवीर जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
3. आरती पुत्री दिलबाग सिंह जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
4. दगमता बाई पुत्री श्योनारायण जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
5. सन्दीप पुत्र गौरी शंकर नवीरा परमाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
6. मन्जू पुत्री गौरी शंकर नवीरा परमाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
7. दयानन्द पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
8. दलीप पुत्र परमाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
9. ध्रुपकोर पत्नि किशोरी लाल जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
10. प्रमलता पुत्री किशोरीलाल जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
11. वर्षी पुत्री परमाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
12. बलवीर पुत्र हरिसिंह जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
13. भूपसिंह पुत्र किशोरीलाल जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
14. मीना पुत्री दिलबाग सिंह जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुझुनू (राज.)



(Signature)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुझुनू (राज.)



15. यौगेश पुत्र रामावतार जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
16. रेखा बाई पुत्री साधुराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
17. राजकुमार पुत्र किशोरी लाल जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
18. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र साधुराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
19. राजबाला पत्नि स्व. दिलबाग सिंह जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
20. रामरती पत्नि साधुराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
21. विजेन्द्र पुत्र लालचन्द नवीरा परमाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
22. बबलू पुत्र लालचन्द नवीरा परमाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
23. मिश्री पुत्री लालचन्द नवीरा परमाराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
24. विरेन्द्र पुत्र किशोरी लाल जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
25. शमशेर सिंह पुत्र साधुराम जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
26. सुण्डाराम पुत्र श्योनारायण जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
27. सन्तोष पत्नि स्व. रामावतार जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
28. सुमन पुत्री दिलबाग सिंह जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
29. सुरेन्द्र यादव पुत्र रामावतार जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
30. सरिता पुत्री दिलबाग सिंह जाति अहीर निवासी बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
31. केशरमल पुत्र हीरालाल जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
32. नरेश कुमार पुत्र हीरालाल जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
33. भीमराज पुत्र हीरालाल जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
34. सुरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
35. मुन्नीचन्द पुत्र हनुमान जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
36. महेंद्र पुत्र हनुमान जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
37. राजेश पुत्र हनुमान जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
38. सुभाष पुत्र हनुमान जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
39. शरोज पत्नि स्व. दुलीचन्द जाति ब्रहामण निवासी ढाणी लक्ष्मण तह. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)



(Signature)
उपसंचालक अतिरिक्त कुलपति
जिला झुन्झुनू (राज.)

40. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बड़बर जरिये शाखा प्रबन्धक
41. लैण्ड-होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्डुनू (राज.)

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :-

प्रार्थीगण की ओर से - श्री राजेश कुमार यादव अधिवक्ता

-: निर्णय :-

दिनांक :- 22.5.25

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्डुनू (राज.) स्थित भूमि ख.न. 46 रकबा 2.46 हैक्टर के खातेदार आवेदकगण व अनावेदक स. 1 व 2 हैं लेकिन ख.न. 46 के लिये रिकार्ड में कोई कटानी रास्ता नहीं है एवं ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता हैं।
2. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 46 के पश्चिम में ख.न. 51 रकबा 0.35 है. जो अनावेदक सं. 3 लगायत 30 के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा ख.न. 46 के उत्तर में ख.न 52 रकबा 3.50 हैक्टर स्थित हैं अनावेदक स. 31 लगायत 34 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं तथा ख.न. 46 के उत्तर पश्चिम में ख.न. 53 रकबा 1.25 हैक्टर स्थित हैं जो अनावेदक स. 35 लगायत 39 के नाम दर्ज रिकॉर्ड तथा ख.न. 24 गै.मू. रास्ता हैं जो ख.न. 46 के उत्तर में ख.न. 52 व उत्तर पश्चिम में ख.न. 53 के सहारे से जाता हैं आवेदकगण ख.न. 46 में ख.न. 51 व ख.न. 53 व ख.न. 52 की मेड पर से आते हैं जिसका आवेदकगण को सुखाधिकार प्राप्त है।
3. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न 46 के लिये राजकीय भूमि ख.न. 24 से ख.न. 52, 53, 51 में से ही रास्ता है इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक रास्ता आवेदकगण के लिये नहीं है भूमि ख.न. 52, 53, 51 में से भी कटानी रास्ता नहीं है लेकिन आवेदकगण इसी रास्ता से अपनी भूमि में फसल काटते लाटते है एवं फसल की उपज एवं चारा व अनाज इसी रास्ता से अपने घर पर लाते है तथा अपनी भूमि में केवल मात्र इसी रास्ता से आते जाते है इसके लिये आवेदकगण को सुखाधिकार प्राप्त है। यही रास्ता सबसे सरल एवं सुगम व निकटम हैं।
4. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 46 में फसल कास्त करने, अपने खेत में से अनाज हैक्टर ट्रौली, उँट गाड़ा इत्यादि ले जाने के लिए आवेदकगण का अपनी खातेदारी की भूमि में पहुँचना फसल की सुरक्षा करना एवं फसल पकने पर उसको काटना लाटना मुश्किल हो गया है इसलिये आवेदकगण के लिये आवश्यक हुआ है कि वह अपनी भूमि ख.न. न. 46 के लिये 52, 53, 51 में से ख.न. 46 तक 13 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करवाये इसके लिये धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशी का भुगतान करने को वह तैयार एवं तत्पर है। इस प्रकार आवेदक को



[Handwritten Signature]
जिला अधिकारी बुहाना
जिला झुन्डुनू (राज.)

- भूमि ख.न. 46 के लिये ख.न. 52, 53, 51 में से 13 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में उसे गैर मुमकिन रास्ता कायम कर मौके पर भी रास्ता कायम किये जाने योग्य है। इसके लिये डी.एल.सी. रेट की दोगुनी राशी का भुगतान करने को आवेदकगण तैयार एवं तत्पर है।
5. यह कि आवेदकगण की भूमि ख.न. 46 के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है विवादित स्थल से ही सबसे सरल सुगम रास्ता है तथा ख.न. 46 के लिये कायम किये जाने वाला रास्ता से ख.न. 51 एवं ख.न. 46 के लिये भी रास्ता उपलब्ध हो सकेगा यदि ख.न. 46 के लिये रास्ता कायम नहीं किया जाता है तो आवेदकगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।
 6. यह कि आवेदन पत्र के लिये आधार विवाद आवेदकगण की भूमि ख.न. 46 के लिये रास्ता कटानी नहीं होने से एवं ख.न. 52, 53, 51 की सीमा पर से 13 फीट चौड़ा रास्ता सबसे सुगम व सरल एवं नजदीकी होने से एवं अनावेदकगण ख.न. 52, 53, 51 के खातेदारों द्वारा प्रचलित रास्ता को रोक देने से उसे राजस्व रिकार्ड में कायम करवाया जाना एवं मौके पर स्थापित किया जाना आवश्यक होने से पैदा हुआ है। अतः आवेदन पत्र अन्दर मियाद है।
 7. यह कि आवेदन पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम बड़बर में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी की हदूद में होने से यह आवेदन पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।
 8. यह कि अनावेदक स. 40 से भूमि पर ऋण है तथा अनावेदक स. 41 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
 9. यह कि आवेदन पत्र 2/-रु. कोर्ट फीस पर सेवामे पेश हैं।
 10. यह कि आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

- (क) कि ग्राम बड़बर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज. स्थित भूमि ख.न. 24 आम रास्ता से ख.न. 52, 53, 51 की मेड से दोनो तरफ कुल 13 फीट चौड़ा रास्ता ख.न. 46 तक नजरी नक्शा के अनुसार कायम कर उसे मौके पर सीमांकन एवं मापन कर कायम किये जाने की कृपा करे एवं उसके अलग से ख0 न0 कायम कर उसकी किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर उक्त भूमि को राजकीय खाता में दर्ज किये जाने की कृपा करे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की तामील असालतन/सम्यक होकर प्राप्त हुई। तथा बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 374 दिनांक 13.07.2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2624 दिनांक 12.10.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की -


अश्विन अश्विनी कुम्हार
दिनांक 22.06.2025

- (1) आवेदित रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग नहीं है। क्योंकि आवेदक ने ख0 न0 46 में कुआ व मकानात बना रखे है। अतः आवागमन के लिए रास्ता अति आवश्यक है।
- (2) विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है। क्योंकि अन्य रास्ता प्रस्तावित रास्ते से लम्बा बनता है। जिसके कारण अन्य रास्ता प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है। के ख0 न0 83 व 84 में वैकल्पिक रास्तों का अभाव है। वैकल्पिक रास्ता हेतु 2 विकल्प ख0 न0 77 एवं 87 से दर्शाया गया है। जिसमें ख0 न0 77 से रास्ता का क्षेत्रफल 592 वर्ग मीटर है तथा ख0 न0 87 से 720 वर्ग मीटर है। रास्ते की गणना हुई है। रिपोर्ट बनाते समय पूर्व में खातेदारों को नोटिस की कापी संलग्न है। नजरी नक्शा भी संलग्न है। रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक (अत्यधिक) है तथा व जोत (हालिंग) के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
- (3) प्रस्तावित रास्ता चार मीटर चौड़ा है। तथा प्रस्तावित रास्ते के प्रथम बिन्दु संख्या ए से आवेदक की भूमि ख0 न0 46 बिन्दु संख्या बी तक रास्ते को सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में किया गया जो रास्ता मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड से सबसे निकटतम व लघुतम है। दर्शित नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में संलग्न है।
- (4) प्रस्तावित रास्ता ख0 न0 24 में गै0 मु0 रास्ता बिन्दु संख्या ए से शुरू होकर ख0 न0 53 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे 2 मीटर चौड़ा व ख0 न0 52 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे 2 मीटर चौड़ा व ख0 न0 51 के उत्तरी पूर्वी कोने से होते हुए ख0 न0 46 बिन्दु संख्या बी तक पहुंचता है।
प्रस्तावित रास्ते ख0 न0 53 में लम्बाई 120 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर बनती है। जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर बनता है। तथा ख0 न0 52 में लम्बाई 122 मीटर व चौड़ाई 2 मीटर बनती है। जिसका क्षेत्रफल 244 वर्ग मीटर बनता है। तथा ख0 न0 51 में लम्बाई 04 मीटर व चौड़ाई 04 मीटर बनती है। जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर बनता है। रास्ते का कुल क्षेत्रफल $240 + 244 + 16 = 500$ वर्ग मीटर बनता है। अर्थात 0.05 हेक्टर जिसकी वर्तमान दुगुने डी.एल.सी. से कुल राशी (सम्बन्धित उप पंजीयक) से रिपोर्ट लिया जाना प्रस्तावित है।
- (5) प्रस्तावित रास्ते के अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त एक खेजड़ी (जाटी) पेड़ का नुकसान है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया।
न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यातिक आवश्यकता (Absolute Necessity)


परमेश्वर अश्विनी कुमार
जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

का सम्बन्ध पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल
उत्पाद को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence
of Alternative Means of Access) को भी उल्लिखित किया है। न्यायालय आवेदकगण
के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट अनुसार प्राथी को ख0 न0 24 आम रास्ता से ख0
न0 52 53 51 की गेहूँ से दोनों तरफ कुल 13 फीट चौड़ा रास्ता ख0 न0 46 तक दिया
जाता है। प्राथी डी.एल.सी के दुगने भूख अंप्रार्थीगण को चुकावे। रास्ता सार्वजनिक रास्ते
के रूप में दर्ज होगा।

आदेश

न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः बाक
ग्राम बडबर तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज. स्थित भूमि ख0 न0 24 आम रास्ता से ख0
न0 52 53 51 की गेहूँ से दोनों तरफ कुल 13 फीट चौड़ा रास्ता ख0 न0 46 तक जिसको
नक्शे नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसका कुल रकबा 500 वर्गमीटर मीटर
रास्ता के लिए दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस प्रदर्श - "अ" के अनुसार दिए
जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन
रास्ता" के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को
आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना नियमानुसार ग्राम बडबर की
अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से दो गुणा राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने
पर सम्बन्धित खातेदार/अंप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व
उत्तरीय करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस
प्रदर्श - "अ" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला
रकबा रहन से मुक्त माना जावे"।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 22/5/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद, मेरे हस्ताक्षर इस
न्यायालय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

